पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.12581

==

अशोक राय, पिता- भुवनेश्वर राय, निवासी- ग्राम- गयासुद्दीनपुर, डाक- राम नगर, थाना - गायघाट, जिला-मुजफ्फरपुर।

... ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. जिला मजिस्ट्रेट, सीतामढ़ी।
3. पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर।
4. अधीक्षक, आबकारी विभाग, सीतामढ़ी।
5. प्रभारी अधिकारी, अहियापुर थाना मुजफ्फरपुर।
6. चंदन कुमार, पिता- योगेंद्र ठाकुर, निवासी- गाँव - सेमरा हाट, थाना - बंजारिया, जिला- पूर्वी चंपारण।
7. राजेश कुमार शर्मा, पिता-जोगीनाथ शर्मा, निवासी: - वार्ड सं.11, बसबरिया महसांत उर्फ रामपुर लक्ष्मी, थाना सीतामढ़ी, जिला-सीतामढ़ी।

.............उत्तरदाताओं

==

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता के लिए : श्री रंजीत कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

राज्य की लिए : श्री प्रभाकर झा, सरकारी प्लीडर-27

==

भारत का संविधान---अनुच्छेद 226----भारतीय दंड संहिता----धारा 379---जब्ती करने वाले प्राधिकारी और नीलामी प्राधिकारी के कर्तव्य---रिट याचिका जिसमें प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई है कि वे आईपीसी की धारा 379 के तहत दर्ज पुलिस मामले के संबंध में याचिकाकर्ता की जब्त कार को छोड़ दें।

*निष्कर्ष: याचिकाकर्ता का चोरी किया गया वाहन आबकारी अधिनियम के तहत अपराधों के लिए शामिल था और इस पृष्ठभूमि में, आधिकारिक प्रतिवादियों ने वाहन को जब्त करने और वाहन की विषय-वस्तु की नीलामी करने की कार्यवाही की है--- जब्त करने वाले प्राधिकारी और नीलामी करने वाले प्राधिकारी को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के माध्यम से वाहन के मालिक के ठिकाने का पता लगाना चाहिए था---- यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को उसके वाहन की जब्ती और वाहन की विषय-वस्तु की नीलामी से संबंधित नोटिस जारी नहीं किया गया है--- आधिकारिक प्रतिवादियों ने जब्ती की कार्यवाही और वाहन की नीलामी 1,30,000/- रुपये में करने में भारी भूल की है, जबकि वाहन का बीमा 3,50,000/- रुपये की राशि के लिए किया गया था----- अधिकांश समान मामलों में, संबंधित अधिकारियों/सक्षम प्राधिकारी की ओर से गंभीर खामियां हैं, जो जब्ती की कार्यवाही और नीलामी की कार्यवाही करते हैं और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ है नीलामी से पहले वाहन की कीमत मोटर वाहन विभाग/बीमा कंपनी के माध्यम से सुनिश्चित करने जैसे मामलों में बीमा पॉलिसी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वाहन के मॉडल/मेक के साथ बीमा कंपनी की राय ली जानी चाहिए थी। राज्य सरकार के अधिकारियों को अपने कर्तव्य के साथ-साथ शक्ति का भी ध्यान रखना चाहिए। संविधान ने लोक सेवक पर एक ईमानदार प्रशासक के रूप में लोक नीति और संवैधानिक लक्ष्यों को लागू करने का भरोसा दिया है, लेकिन सक्षम प्राधिकारी/प्रतिवादियों ने उस भरोसे को तोड़ा है और लोक नीति को विफल करने की कोशिश की है। संबंधित प्राधिकारी को याचिकाकर्ता के पक्ष में 3,50,000 रुपये का भुगतान करने और आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर डिमांड ड्राफ्ट जारी करने का निर्देश दिया जाता है। ऐसा न करने पर याचिकाकर्ता वाहन की जब्ती की तारीख से भुगतान किए जाने तक 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने का हकदार है। रिट स्वीकृत। **(पैरा- 2 से 6)***

*(1880) 5 एसी 214, 1952 एससीआर 135 ....**पर भरोसा किया गया।***

==

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार सिन्हा

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)

दिनांक: 19-03-2025

इस रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत (ओं) के लिए अनुरोध किया हैः

> "रिट/रिटों, आदेश/आदेशों, निर्देश/निर्देशों द्वारा प्रतिवादी अधिकारियों को आदेशित करने के लिए कि बोलेरो पिकअप (महिंद्रा), पंजीकरण संख्या BR06GB-1358, को याचिकाकर्ता जो सही मालिक है, के पक्ष में छोड़ा किया जाए, जो अहियापुर थाना कांड संख्या 1287/2019 आईपीसी की धारा 379 के तहत जब्त की गई थी, जिसे उत्तरदाता संख्या 7 ने उत्तरदाता संख्या 6 से खरीदा था, जिन्होंने उपर्युक्त वाहन को आबकारी विभाग, सीतामढ़ी द्वारा आयोजित नीलामी में खरीदा था।

2. याचिकाकर्ता रजिस्ट्रेशन नंबर BR06GB-1358-बोलेरो पिकअप (महिंद्रा) नामक वाहन का मालिक बताया गया है। उक्त वाहन को कुछ बदमाशों ने चुरा लिया था, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के तहत अपराध के लिए अहियापुर थाना कांड संख्या 1287/2019 (जिला-मुजफ्फरपुर) में 24.10.2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। चोरी का वाहन उत्पाद अधिनियम के तहत अपराध के लिए शामिल था। इस संबंध में सुप्पी थाना कांड संख्या 268/2019 (जिला-सीतामढ़ी) में 21.12.2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस पृष्ठभूमि में, आधिकारिक प्रतिवादियों ने दिनांक 06.07.2020 के जब्ती आदेश के अनुसरण में 10.03.2022 को वाहन को जब्त करने और वाहन के विषय-वस्तु की नीलामी करने की कार्यवाही की है। जब्त करने वाले प्राधिकारी और नीलामी प्राधिकारी को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के माध्यम से वाहन के मालिक के ठिकाने का पता लगाना चाहिए था। अभिलेखों के आगे अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को उसके वाहन की जब्ती और वाहन के

विषय-वस्तु की नीलामी से संबंधित नोटिस जारी नहीं किया गया है। अतः प्रत्येक स्तर पर अधिकारियों ने वाहन की जब्ती कार्यवाही और नीलामी में 1,30,000/- (एक लाख तीस हजार रुपए) की गलती की है, जबकि वाहन का बीमा 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार रुपए) रुपए में कराया गया था, जैसा कि अनुलग्नक-पी/1- मैग्मा एचडीआई/जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से स्पष्ट है, 18.09.2019 से 17.09.2020 तक की अवधि के लिए। अतः वाहन की जब्ती की तिथि तक बीमा पॉलिसी प्रचलन में थी। इसलिए, याचिकाकर्ता बीमा पॉलिसी के अनुसार बीमित वाहन का मूल्य 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार रुपये) पाने का हकदार है, इस तथ्य के मद्देनजर कि वाहन की चोरी और आबकारी अधिनियम के तहत अपराधों के लिए वाहन की जब्ती से संबंधित कथित घटना 24.10.2019 को हुई थी और उसके बाद 21.12.2019 को एफआईआर दर्ज की गई थी।

3. संबंधित प्राधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता के पक्ष में 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार रुपये) का भुगतान करें और आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर डिमांड ड्राफ्ट जारी करें, ऐसा न करने पर याचिकाकर्ता वाहन की जब्ती की तारीख से भुगतान किए जाने तक 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पाने का हकदार होगा।

4. अधिकांश समान मामलों में, हमने पाया है कि जब्ती की कार्यवाही करने वाले संबंधित अधिकारियों/सक्षम प्राधिकारी की ओर से गंभीर चूक हुई है और नीलामी की कार्यवाही में कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ। नीलामी से पहले वाहन के मूल्यांकन के लिए मोटर वाहन विभाग/बीमा कंपनी के माध्यम से वाहन का मूल्य निर्धारित करने जैसा कोई मानक नहीं है। यदि किसी विशेष वाहन के संबंध में बीमा पॉलिसी उपलब्ध नहीं है, तो उस स्थिति में वाहन के मॉडल/मेक के साथ बीमा कंपनी की राय ली जानी चाहिए। आज ही, हमारे सामने एक ऐसा मामला आया है, जिसमें एक

ट्रक को 2,00,000/- (दो लाख रुपये) में नीलाम कर दिया गया, जबकि हमने देखा कि बीमा मूल्य लगभग 21,00,000/- (इक्कीस लाख रुपये) है। आबकारी अधिनियम के तहत अपराधों से निपटने के मामले में आबकारी विभाग/राजस्व विभाग में ये खामियां हो रही हैं। अगर यही हाल रहा तो राज्य के खजाने को नुकसान होगा। करदाताओं का पैसा इस तरह बर्बाद नहीं किया जा सकता।

5. राज्य सरकार के अधिकारियों को अपने शक्ति के साथ-साथ कर्तव्य का भी ध्यान रखना चाहिए। इस संबंध में, शक्ति के साथ-साथ कर्तव्य के सिद्धांत को **अर्ल कैरेंस, एल.सी. ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जूलियस बनाम लॉर्ड बिशप ऑफ ऑक्सफोर्ड [(1880) 5 एसी 214] (एसी पृष्ठ 222-23 पर)** में संक्षेप में बताया था, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **पुलिस आयुक्त बनाम गोरधनदास भांजी [1952 एससीआर 135] (एससीआर पृष्ठ 147 पर)** में इस प्रकार मंजूरी दी थी:

> "कार्य किए जाने के लिए अधिकृत की गई चीज़ की प्रकृति में कुछ हो सकता है, जिस उद्देश्य के लिए उसे किया जाना है उसमें कुछ हो सकता है, जिन शर्तों के तहत उसे किया जाना है उनमें कुछ हो सकता है, उस व्यक्ति या व्यक्तियों के अधिकार में कुछ हो सकता है जिनके लाभ के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाना है, जो शक्ति को कर्तव्य के साथ जोड़ सकता है, और यह उस व्यक्ति का कर्तव्य बना सकता है जिसके पास शक्ति निहित है, कि जब ऐसा करने के लिए कहा जाए तो वह उस शक्ति का प्रयोग करे। "

6. इस प्रकार, यह स्पष्ट होगा कि प्रतिवादी/सक्षम प्राधिकारी संवैधानिक कर्तव्य के साथ-साथ शक्ति के अधीन था। प्रत्येक लोक सेवक समाज का ट्रस्टी होता है और लोक प्रशासन के सभी पहलुओं में, प्रत्येक लोक सेवक को राष्ट्र को एकीकृत करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक नीतियों के कार्यान्वयन में ईमानदारी, निष्ठा, ईमानदारी और निष्ठा का प्रदर्शन करना होता है ताकि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता और दक्षता प्राप्त हो सके। एक लोक सेवक को अनुच्छेद 14 जैसी संवैधानिक

नीतियों और निर्देशक सिद्धांतों सहित सभी परस्पर संबंधित नीतियों को लागू करने का कर्तव्य और शक्ति सौंपी जाती है, उसे कार्यान्वयन में पारदर्शिता दिखानी चाहिए और संवैधानिक लक्ष्यों के उचित प्रभाव के लिए जवाबदेह होना चाहिए। संविधान ने लोक सेवक पर लोक नीति और संवैधानिक लक्ष्यों को प्रभावी बनाने के लिए एक ईमानदार प्रशासक के रूप में भरोसा किया है। सक्षम प्राधिकारी/प्रतिवादियों ने उस भरोसे को धोखा दिया है और लोक नीति को विफल करने की कोशिश की है। तथ्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि सक्षम प्राधिकारी/अधिकारी प्रतिवादी उस संवैधानिक कर्तव्य का पालन करने में विफल रहे हैं। बिहार राज्य के मुख्य सचिव को इस मामले की जांच करनी चाहिए और संबंधित दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए तथा दो महीने के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री को अनुपालन रिपोर्ट देनी चाहिए।

7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, याचिकाकर्ता ने एक मामला सिद्ध किया है।

8. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका स्वीकृत की जाती है।

9. पैरा-6 के अनुपालन हेतु 17.06.2025 को सूचीबद्ध करें।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति)

(आलोक कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

पी. एस/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।